29. दाखादेवी पुत्री मदनलाल जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
30. गुलीदेवी पुत्री मदनलाल जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
31. सोनीदेवी पुत्री मदनलाल जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
32. सिणगारीदेवी पुत्री मानाराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
33. चम्पादेवी पुत्री मानाराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
34. बीदमीदेवी पत्नी अलीराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
35. बिलूदेवी पुत्री अलीराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
36. दुर्गादेवी पुत्री अलीराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
37. छोटीदेवी पुत्री अलीराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
38. इन्द्रादेवी पुत्री अलीराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
39. शंकरलाल पुत्र जीवणराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
40. प्रेमश्वरी पत्नी हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
41. जगदीश पुत्र हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
42. मुन्नीदेवी पुत्री हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
43. चूकादेवी पुत्री हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
44. सन्तोषदेवी पुत्री हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
45. मंजूदेवी पुत्री हनुमानराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
46. मिश्रीलाल पुत्र मोहनराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
47. भंवरीदेवी पुत्री मोहनराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
48. झमकूदेवी पुत्री मोहनराम जाति बावरी निवासी लालास तह. नांवा
49. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, नांवा

...................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा
उपस्थित :– श्री सागरमल सेवर वकील वादी

मुकदमां नम्बर :– 01/2016 निर्णय दिनांक :– 11.02.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लालास के खसरा नम्बर 452, 457, 654, 655, 709/450, 710/449, 711/454 कुल रकबा 3.62 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें 3/10 हिस्सा लिछमणराम, गीगाराम, लादूराम पि. सुखाराम, बोदूराम पिता मांगूराम, मोहरी बेवा पदामाराम, जेतीदवी पत्नी पूरणमल के नाम तथा 3/10 हिस्से की भूमि मोतीराम पुत्र मेवाराम, लालाराम, मदनलाल, भूराराम पि. ज्ञानाराम तथा 3/10 हिस्सा भूमि मानाराम पुत्र जोराराम एवं 1/10 हिस्सा रामगोपाल, ओमप्रकाश पि. मोहनराम , गुलाबदेवी पत्नी मोहनराम, सीताराम, शंकरलाल, प्रकाश, भागीरथ पि. नेमाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि के खातेदार रामगोपाल, ओमप्रकाश पि. मोहनराम, गुलाबदेवी पत्नी मोहनराम,

11/2/17

शंकरलाल, प्रकाश, भागीरथ पि. नेमाराम ने अपनी उक्त 7/80 हिस्सा भूमि को व सीताराम के वारिसान कुन्दनराम ने अपनी सम्पूर्ण 1/80 हिस्सा अर्थात कुल रकबा भूमि का 1/10 हिस्सा भूमि को बतौर प्रतिफल विक्रय मूल्य भूमि वादी को बैचान कर दिया उक्त बैचान के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयत में 1/10 हिस्सा की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं वादी अपनी खरीद सुदा भूमि पर निरन्तर निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा हैं मौक पर वादी की 1/10 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.16 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 710/449 रकबा 0.20 हैक्टयर सम्पूर्ण में स्थित हैं जिसके चारो ओर पक्की सीव माफठ कायम की हुई जिसको वादी ने उपजाउ बनाया हैं एवं हजारो रूपयो की लागत लगाकर समतल करवाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढाया हैं लेकिन भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिससे किसान केडिट कार्ड एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं में कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं जिससे वादी अपने हक हिस्से की भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कर अलग खातेदारी घोषणा करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगीण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के व्यक्ति एवं आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त होने के बावजूद एवं प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में प्रकाशित करवाऐ जाने के बावजूद बार बार अवाज लगाऐ जाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह बजरंगलाल के शपथ पत्र पेश किऐ तत्पश्चात ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में दर्ज खसरा नम्बर 452, 457, 654, 655, 709/450, 710/449, 711/454 कुल रकबा 3.6200 हैक्टयर भूमि के खातेदारो द्वारा बैचान करने पर नामान्तरण संख्या 1011 दिनांक 21.09.15 के द्वारा लिछमणराम, गीगाराम लादूराम पि. सुखाराम, बोदूराम पुत्र मांगूराम, मोहरी बेवा पदामाराम, जेतीदेवी पत्नी पूर्णमल 3/10 हिस्सा, मोतीराम पुत्र मेवाराम, लालाराम, मदनलाल भूराम पि. ज्ञानाराम 3/10 हिस्सा एवं मानाराम पुत्र जोराराम 3/10 हिस्सा जाति बावरी भानाराम पुत्र मोतीराम जाति बलाई हिस्सा 7/80, सीताराम पुत्र नेमाराम जाति बावरी हिस्सा 1/80 दर्ज रिकार्ड किया गया। जिसके अनुसार उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारो से वादी 7/80 हिस्सा तथा उसके बाद सीताराम के वारिसान कुन्दनराम ने अपना सम्पूर्ण 1/80 हिस्सा वादी को बैचान किया उक्त बैचान के तहत नामान्तकरण संख्या 1018 दिनांक 20.10.2015 खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई। वादी द्वारा 7/80 व 1/80 कुल 1/10 हिस्सा उक्त विवादित आराजीयत में से जरिये रजिस्टर्ड बैचान खरीद की खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ हैं वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त विवादित आराजीयत में रिकार्डेड खातेदार हैं, वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाना चाहता हैं जिसको उसके कानूनी

11/2/17

रूप से पूर्ण अधिकार हैं सह खातेदार प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किऐ जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण के वाद बाबत मौन स्वीकारोती होना प्रतीत होता हैं जिससे वादी का वाद स्वीकार किऐ जाने योग्य है तत्पश्चात वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नांवा से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीदार नांवा ने अपने पत्रांक भू.अ./582 दिनांक 09.02.2017 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को उपलब्ध करवायी गई जिसे वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया गया।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लालास के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 452, 457, 654, 655, 709/450, 710/449, 711/454 कुल रकबा 3.6200 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 655 रकबा 0.1600 हैक्टयर सम्पूर्ण व 710/449 रकबा 0.2000 हैक्टयर कुल रकबा 0.3600 हैक्टयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष खसरा नम्बरान से वादी का नाम हटाया जाकर वादी की अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। स्टाम्प ड्युटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारही हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

11/2/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, नांवा

नांवा (नागौर)